204

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस0एस0 अली
सदस्य

अपील प्रकरण कमांक–953–तीन/2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 01–04–2010 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक–312/अपील/2007–08

.....

रामनिवास तनय श्री शोभनाथ
निवासी–ग्राम चकड़ौर तहसील रामपुर नैकिन
जिला–सीधी(म0प्र0)

–––––अपीलार्थी

विरूद्ध

1– रामसजन सिंह तनय श्री राम सिंह गौड़
2– अजमैर सिंह तनय श्री राम सिंह गौड़
3– बसन्ती पुत्र मंगल सिंह गौंड़
4– नानबाई पुत्री मंगल सिंह गौंड़
5– धर्मराज सिंह तनय खुमान सिंह गौंड़
6– रामराज सिंह तनय खुमान सिंह गौंड़
निवासीगण–चकड़ौर तहसील रामपुर नैकिन
जिला–सीधी(म0प्र0)

––––––– प्रत्यार्थीगण

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री डी0एस0 चौहान एवं श्री आर0पी0 मिश्रा, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28-9-17 को पारित)

यह अपील म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–04–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा ग्राम चकड़ौर की प्रश्नाधीन भूमि आराजी नं0 542 रकबा 1.36/0.551 अपने नाम दर्ज किये जाने

हेतु संहिता की धारा 170(ख) के अंतर्गत आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी चुरहट के समक्ष प्रस्तुत किया । अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 31.07.2006 से अनावेदकगण का आवेदन अस्वीकार किया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर सीधी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर ने प्रकरण क्रमांक 42/अपील/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2007 से अपील स्वीकार की । अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2007 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई । जहॉ पर अपर आयुक्त रीवा ने प्रकरण क्रमांक 312/अपील/2007–08 पर पंजीबद्ध कर दिनांक 01.04.2010 द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखते हुये प्रस्तुत अपील निरस्त की है। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में यह मुख्य आधार लिया कि वादगस्त भूमि का अन्तरण दिनांक 02.10.1959 के पूर्व अर्थात् सन् 1942–43 का है, जो साधारण टीप से प्रमाणित है। सन् 1958–59 की खतौनी में आदिवासी का नाम अंकित होने पर गैर आदिवारी को पट्टा पावईदार दिया जाना, कानूनी दृष्टि से वैध नहीं है, क्योंकि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 प्रभावशील होने के पहले पवाईदार को अन्तरण के आधार पर पट्टा देने का अधिकार प्राप्त था । अनावेदकगण के पूर्वज द्वारा बेची टीप के आधार पर भूमि का अन्तरण आवेदक के पिता को किया है, जो वैध है। उक्त पट्टे के आधार पर तहसीलदार के आदेश से प्रविष्टी की गई थी। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह निष्कर्ष कि आदिवासी की भूमि अन्तरण के लिये कलेक्टर से अनुमति आवश्यक है, जबकि उक्त विवादित भूमि का अन्तरण सन् 1942–43 में हो गया था, ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 165(6) प्रावधान वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होते है। अतं में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रतिउत्तर में लिखित तर्क में मुख्य आधार लिया है कि अपीलार्थी 2 अक्टूबर 1959 के पूर्व वादग्रस्त भूमियों का

भूमिस्वामी बतौर शासकीय अभिलेखों में अभिलिखित था। वस्तुतः अपीलाधीन भूमि खसरा क्र0 पुराना 542 रकबा 1.36 है0 सहित अन्य भूमियां जो 09 किता में है के पूर्व भूमिस्वामी अनावेदकगण के पूर्वज स्व0 रघुनन्दन सिंह बल्द मनबोध सिंह गौंड़ ही थे ना कि अपीलार्थी । मात्र खेतिहर के कॉलम में आदिवासी की अज्ञानता का लाभी लेकर अपीलार्थी के पिता स्व0 शोभनाथ बल्द आनन्दलाल का नाम दर्ज है जो कतई भू—स्वामी की श्रेणी में नहीं कहा जा सकता । वस्तुतः अनावेदकगण के पूर्वज द्वारा न तो कोई बिक्री टीप ही लिखाई गई थी और न ही अपीलाधीन प्रकरण में अनावेदकगण के पूर्वज का कोई बिक्री संबंधी बयान ही अपीलार्थी द्वारा संलग्न किया गया है । उनके द्वारा यह भी तर्क दिया कि अनावेदकगण के पूर्व जो एक आदिवासी भूमिस्वामी थे तो उनके भू—स्वामित्व की अपीलाधीन भूमि का अन्तरण जैसा कि खसरा वर्ष 1969—70 से 73—74 के अवलोकन से स्पष्ट है कि एक सामान्य व्यक्ति के नाम बिना कलेक्टर न्यायालय की मंजूरी म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के अन्तर्गत प्राप्त किये ही उक्त खसरा वर्ष में उल्लेखित होना क्या न्यायोचित नहीं। वस्तुतः यह तथ्य स्पष्ट है कि खतौनी वर्ष 1958—59 में अनावेदकगण के पूर्वज स्व0 श्री रघुनन्दन सिंह तनय श्री मनबोध सिंह दर्ज है जो एक आदिवासी है, ऐसी स्थिति में एक आदिवासी के भू—स्वामित्व की भूमि का अन्तरण और एकाएक 20 वर्ष बाद 1969—70 के खसरे में कलेक्टर न्यायालय से अनुमति प्राप्त किये बिना शासकीय अभिलेखों में कतई दर्ज नहीं किया जा सकता । अनावेदकगण की ओर से लिखित तर्क बिन्दुवार प्रस्तुत कर विनय है कि अपर कलेक्टर सीधी का आदेश एवं अपर आयुक्त रीवा का आदेश स्थिर रखते हुये अपील अप्रसंगिक होने से निरस्त किया जावे।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के लिखित तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी चुरहट के समक्ष अनावेदकगण द्वारा संहिता की धारा 170 (ख) के तहत प्रश्नाधीन भूमि पर अपना नाम दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी ने 31.07.2006 द्वारा प्रश्नाधनी भूमि, आवेदक के पिता शोभनाथ राम के नाम दर्ज माना है तथा मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959

की धारा 170 (ख) को प्रभावशील न मानते प्रस्तुत आवेदन पत्र अस्वीकार किया था। जबकि वादग्रस्त भूमि सम्बत 2000 में कच्ची बिक्री टीप के आधार पर अनावेदकगण के पूर्वज द्वारा बिक्री कि गई थी। खसरा खतौनी वर्ष 1958–59 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि शोभनाथ का नाम खतौनी में अंकित है किन्तु मालिक काश्तकार के रूप में रघुनन्दन का नाम अंकित है, जो कि अनावेदकगण के पूर्वज है। विचारणीय बिन्दु यह है कि यदि आवेदक के पिता द्वारा वर्ष 1942–43 में कच्ची टीप के आधार पर भूमि क्रय की गई तो उसका नामांतरण आज तक क्यों नहीं करवाया गया था । वर्ष 1958–59 की खसरा खतौनी में जब आदिवासी का नाम अंकित है तब पवाईदार द्वारा किसी गैर आदिवासी को पटट् दिया जाना विधिक दृष्टि से अवैध है। क्योंकि मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 165(6) के अन्तर्गत यह स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि यदि अभिलेख में किसी आदिवासी का नाम अंकित है तो तब किसी भी अन्तरण में कलेक्टर से अनुमति लेना आवश्यक है। किन्तु इस प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त गैर आदिवासी व्यक्ति को मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता में हुये संशोधन के उपरांत नियत अवधि के भीतर ऐसे अन्तरण की सूचना अपनी ओर से स्वयं दिया जाना आवश्यक है, जो कि आवेदक द्वारा नहीं दी गई । अनुविभागीय अधिकारी ने इन विधिक बिन्दुओं पर विचार किये बिना ही आदेश पारित किया है, जिसे अपर कलेक्टर ने निरस्त किया है। अतः अपर कलेक्टर का आदेश विधिसंगत है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती और अपर कलेक्टर के वैधानिक आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में विस्तापूर्वक विवेचना कर की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 01.04.2010 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,